भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3093
दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

खानाबदोश समुदायों की महिलाओं और बालिकाओं के लिए योजनाएं

3093. श्री राजेश रंजन:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में खानाबदोश समुदायों की महिलाओं की संख्या का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खानाबदोश समुदायों की महिलाएं और बालिकाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से लाभान्वित हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि खानाबदोश समुदायों की महिलाएं और बालिकाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से लाभान्वित हों?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग डीएनटी के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना (एसईईडी) कार्यान्वित कर रहा है जो महिलाओं और बालिकाओं सहित विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश समुदायों के लिए है। इस योजना के उद्देश्य हैं (i) डीएनटी उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से सक्षम बनाने हेतु अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना, (ii) डीएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, (iii) डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के संस्थानों के छोटे समूहों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करने के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुविधाजनक बनाना

और (iv) डीएनटी समुदायों के सदस्यों को घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के कार्यान्वयन में खानाबदोश समुदायों के लिए कोई अलग विभाजन नहीं है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 से महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए देश में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जिन्हें तीन कार्यक्षेत्रों में रखा गया है अर्थात् (1) मिशन शक्ति, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए; (2) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए; और (3) मिशन वात्सल्य, कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए कार्यकलाप को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण में सुधार के उद्देश्य से कार्यनीतियों के प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित करना है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए क्रमशः दो घटक 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

"संबल" घटक महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत शामिल हैं।

क. **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) –** यह जिला स्तर पर स्थित एक संस्था है जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा एवं पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल सहायता प्रदान करती है।
ख. **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) -** महिला हेल्पलाइन 181 सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री टेलीकॉम सेवा प्रदान करती है। इसे सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है और सभी वन स्टॉप सेंटरों के साथ इसका एकीकरण प्रगति पर है।
ग. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) -** बीबीबीपी एक मानसिकता परिवर्तन कार्यक्रम है जो बहु-क्षेत्रीय कार्यकलापों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद करता है।
घ. **नारी अदालत-** यह एक प्रयोगात्मक मंच है जो महिलाओं को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय के उद्देश्य से आपसी सहमति से बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। इसे असम और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट आधार पर शुरू किया गया है।

"सामर्थ्य" घटक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) शामिल हैं।

क. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) -** पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000/- रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के बालिका होने पर भी पीएमएमवीवाई के तहत 6,000/- रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

ख. **शक्ति सदन-** शक्ति सदन संकटग्रस्त एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है।

ग. **सखी निवास-** सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी तथा यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

घ. **पालना-** पालना योजना डे-केयर क्रेच सुविधाओं के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान किया जाता है। क्रेच सेवाएं बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक रूप देती हैं जिन्हें अब तक घरेलू कार्य का हिस्सा माना जाता था तथा यह अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे का उपयोग करती हैं।

ङ. **संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)-** संकल्प : एचईडब्ल्यू महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह मिशन शक्ति के तहत सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के रूप में भी कार्य करता है।

(ii) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक खंडों में पुनर्गठित किया गया है, ये 3 प्राथमिक खंड हैं: (i) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना (आईसीपीएस)) एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसका कार्यान्वयन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के माध्यम से देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और कानून से संघर्षरत बच्चों (सीसीएल) तक बेहतर पहुंच और सुरक्षा के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसमें मिशन मोड में संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल शामिल है, जिसका उद्देश्य है: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहायता और सहारा देना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के उद्देश्य से संदर्भ-आधारित समाधान तैयार करना (iii) नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए अवसर प्रदान करना (iv) यदि आवश्यक हो तो गैप फंडिंग द्वारा अभिसरण कार्रवाई को सुदृढ़ करना।

यह योजना कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7) भी प्रदान करती है।

ये पहल महिलाओं और बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का समाधान करने और देश में स्थायी सामाजिक बदलाव लाने के लिए बनाई गई परिवर्तनकारी योजनाएं हैं। ये पहल महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करते हैं जिसका उद्देश्य अधिक समावेशी, समतापूर्ण, न्यायपूर्ण एवं सहायक समाज बनाना है।

*****